भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2911

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

सड़क की मजबूती में सुधार

2911. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 022 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सड़कों की पर्याप्त मजबूती न होने और गड्ढों से संबंधित दुर्घटनाओं की समस्याओं के पीछे क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) स्वतः मजबूत हो जाने वाले डामर (सैल्फ- हीलिंग एजफाल्ट) की तकनीक की खोज कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो देश में सड़क पर लगातार होने वाले गड्ढों की समस्या जिससे सड़क दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं, का समाधान करने के लिए प्रस्तावित इस नवीन तकनीक का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष “भारत में सड़क दुर्घटनाएं” प्रकाशित करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों जैसे तेज गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, नशे में गाड़ी चलाना/शराब और नशीली दवाओं का सेवन, गलत साइड में गाड़ी चलाना/लेन अनुशासनहीनता, लाल बत्ती का उल्लंघन, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहनों की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति आदि से होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या उपलब्ध नहीं है। हालांकि, वर्ष 2021 और 2022 में "पोट होल्स" श्रेणी के तहत सड़क सुविधाओं के अनुसार वर्गीकृत सभी श्रेणियों की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 3,625 और 4,446 थी।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) सड़क सुरक्षा सहित राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के सभी पहलुओं के लिए मानक, दिशानिर्देश, मैनुअल आदि तैयार करती है। सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से संबंधित सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग मुद्दों पर नीति

परिपत्र भी जारी करता है। ऐसे मानक, दिशानिर्देश, आईआरसी के मैनुअल और नीति परिपत्र सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू और बाध्यकारी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा तैयार किए गए डिजाइन और आरेखों की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक द्वारा जांच की जाती है। ठेकेदार/रियायतग्राही यातायात और निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण अवधि के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार करता है। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, परियोजनाओं की सुरक्षा आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। अनुबंधों में, ठेकेदार/रियायतग्राही या प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा की गई चूक को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

(ग) और (घ) एनएचएआई ने स्वतः मजबूत हो जाने वाले डामर (सैल्फ- हीलिंग एजफाल्ट) पर कोई शोध कार्य/अध्ययन नहीं किया है।

*****